# न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

( मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित )

प्रकरण संख्या 32/2019
प्रविष्टि दिनांक 12.06.2019

1–सरकार जरिये प्रभारी अधिकारी (जि.रा.ले) एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक
2–मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंव सदस्य सचिव जिला स्वच्छता मिशन भीलवाड़ा

.............प्रार्थी

बनाम

श्री अमरदीप भारद्वाज निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक

.......... अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–4 पी.डी.आर.एक्ट 1952**

उपस्थिति : (1) राजकीय पेरोकार
(2) श्री विजय पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी

**निर्णय** **दिनांक 03.01.2022**

प्रस्तुत प्रकरण प्रभारी अधिकारी अधिकारी (जि.रा.ले.) एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि 123756 रूपये पी.डी.आर.एक्ट 1952 की धारा–4 मे वसूल करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंव सदस्य सचिव जिला स्वच्छता मिशन भीलवाड़ा द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पद दर्ज रजिस्टर किया गया एंव वास्ते सुनवाई अप्रार्थी (बाकीदार) को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंव सदस्य सचिव जिला स्वच्छता मिशन भीलवाड़ा द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर प्रभारी अधिकारी अधिकारी (जि.रा.ले.) एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने संस्था सोशियल वेलफेयर एण्ड कल्चरल सोयायटी जयपुर से बकाया राशि 123756 रूपये पी.डी.आर एक्ट के अन्तर्गत वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप मे भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंव सदस्य सचिव जिला स्वच्छता मिशन भीलवाड़ा को लिखे जाने पर उनके द्वारा उक्त प्रकरण मे संस्था के प्रतिनिधी आपके क्षेत्राधिकार (जिला टोंक) मे [illegible] होने से आप उसके विरूद्ध पी.डी.आर एक्ट के तहत इसकी परिसम्पत्ति [illegible] ना कर राशि 123756 रूपये की कुर्की वसूली की कार्यवाही [illegible] प्रकरण बनाकर प्रेषित किया गया है।

विद्वान पेरोकार सरकार ने अपनी [illegible] अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि संस्था सोशियल वेलफेयर एण्ड कल्चरल सोयायटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:55:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

जयपुर (संस्था के प्रतिनिधि जिला टोंक) मे निवासरत होने से अधिक भुगतान की गई राशि 123756 रूपये पी.डी.आर.एक्ट 1952 की धारा–4 मे वसूल करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंव सदस्य सचिव जिला स्वच्छता मिशन भीलवाडा द्वारा मांग पत्र जिला कलेक्टर टोंक को भिजवाया गया है। संस्था के प्रतिनिधि जिला टोंक मे निवासरत होने से उसके विरूद्ध पी.डी.आर एक्ट के तहत उसकी परिसम्पत्तियो की गणना कर राशि 123756 रूपये की कुर्की वसूली की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी(जि.रा.ले.) शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा सम्पादित की जानी है। अतः उक्त राशि अप्रार्थी (बकायादार) से वसूल किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि अप्रार्थी बकाया राशि राजकोष मे जमा करवाने के लिए तैयार है, परन्तु अप्रार्थी को एक माह का समय राशि जमा करवाने हेतु दिया जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रभारी अधिकारी अधिकारी (जि.रा.ले.) एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि 123756 रूपये पी.डी. आर.एक्ट 1952 की धारा–4 मे वसूल करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंव सदस्य सचिव जिला स्वच्छता मिशन भीलवाडा द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर प्रकरण तैयार कर न्यायालय हाजा को प्रेषित किया गया है।

पेरोकार सरकार का कथन है कि संस्था सोशियल वेलफेयर एण्ड कल्चरल सोयायटी जयपुर (संस्था के प्रतिनिधि जिला टोंक) मे निवासरत होने से उसके विरूद्ध पी.डी.आर एक्ट के तहत उसकी परिसम्पत्तियो की गणना कर राशि 123756 रूपये की कुर्की वसूली की कार्यवाही सम्पादित की जानी है।

अप्रार्थी को पहले ही काफी समय बकाया राशि जमा करवाने हेतु दिया जा चुका है। अब समय दिया जाना न्यायोचित नही है। प्रस्तुत प्रकरण को हम न्याय के परिप्रेक्ष्य मे स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः पब्लिक डिमाण्ड एण्ड रिकवरी एक्ट 1952 के अन्तर्गत बाकीदार श्री अमरदीप भारद्वाज निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक से 123756 रूपये की राशि वसूली करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:55:02 IST
Reason: SelfAttested

31/1/2022
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक